

**आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर**  
**प्रकरण संख्या 405/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)**

उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक, शाखा- प्लॉट नं. ए-58ए, ए 59, भूतल, स्कीम नं. 10-ए, रिद्धी सिद्धि चौराहे के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।

**प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक**

**बनाम**

1. मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स जरिये प्रोपराईटर श्री रामस्वरूप निठारवाल पुत्र श्री रामनारायण निठारवाल,
2. श्रीमती नेहा देवी पत्नी श्री रामस्वरूप निठारवाल,  
पता:- डिग्गी मालपुरा रोड़, बस स्टेण्ड, रेनवाल माझी, जयपुर  
एवं हीरापुरा रोड़, सरपंच की ढाणी, रेनवाल माझी, जयपुर।

**अप्रार्थीगण**

**ऋणी एवं गारन्टर**



**The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.**

**उपस्थित :-**

1. श्री सत्येन्द्र खोरानियां, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

**आदेश**

**दिनांक : 24.07.2023**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्रीमती नेहा देवी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 4, गोर्धन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर रजिस्ट्रेशन संख्या 2803/एल की आवासीय योजना, मेन मार्केट रेनवाल, तहसील फागी, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 66.66 वर्गगज को बंधक रख कर दिनांक 25.01.2020 को राशि 24,00,000/- रुपये, दिनांक 20.10.2020 को राशि 04,80,000/- रुपये, कुल राशि 28,80,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.08.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक/हाईपोथिकेटेड उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 28,80,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने

**जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर**

उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि **29,59,834.60/-** रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **02.08.2022** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक/हाइपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में हाइपोथिकेट की गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राथी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी **श्रीमती नेहा देवी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 4, गोरधन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर रजिस्ट्रेशन संख्या 2803/एल की आवासीय योजना, मेन मार्केट रेनवाल, तहसील फागी, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 66.66 वर्गगज** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हसब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक **24.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।



५०  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर